

क्रमांक/सा0निर्वा0/लेखा/2018/ 374

डिण्डौरी, दिनांक 26/09/2018

// टेंट, शामियाना निविदा आमंत्रण सूचना //


विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुए डिण्डौरी जिले के विधानसभा क्षेत्र 103-शहपुरा, 104-डिण्डौरी हेतु मतदान दलों के प्रशिक्षण, ठहरने, मतदान सामग्री वितरण/वापसी, मतदान एवं मतगणना आदि कार्य के लिये टेंट व्यवस्था हेतु मुहरबंद लिफाफे में निविदाएँ दिनांक 11 अक्टूबर 2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निम्नांकित शर्तों पर आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी ।

निविदा शर्त और सामग्री की सूची एवं विस्तृत जानकारी आदि कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी के कक्ष क्रमांक 9 से (अवकाश दिवस छोड़कर) देखा जा सकता है, तथा निर्धारित शुल्क रुपये 200.00 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, तथा दो सौ रुपये का डी0डी0 कलेक्टर जिला डिण्डौरी के पक्ष में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है । जिले की वेबसाईट (www.dindori.mp.gov.in) पर भी देखा जा सकता है ।

निविदा की शर्त:-

1. निविदा द्वि लिफाफा पद्धति द्वारा प्राप्त की जावेगी। प्रथम लिफाफे में निविदा प्रपत्र (अ) में समस्त जानकारियां मय स्वप्रमाणित अभिलेखों/प्रतिभूति राशि 50000/- (पचास हजार मात्र) एवं आवेदन पत्र के शुल्क का डी0डी0 सहित अभिलेख होंगे। जिस पर विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु लाईट माईक लिखा होगा। द्वितीय लिफाफा दरों से संबंधित निविदा प्रपत्र/(ब) होगा। जिसमें केवल दरों का विवरण होगा। प्रथम लिफाफा के सत्यापन के उपरान्त ही द्वितीय लिफाफा औपन किया जावेगा । कार्यालय द्वारा प्रदाय निविदा फार्म ही मान्य होगा ।
2. प्राप्त निविदाओं के समस्त सील बंद लिफाफे कलेक्टर जिला डिण्डौरी द्वारा गठित समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोले जावेंगे।
3. सफल निविदाकार को रुपये 500/- का स्टाम्प प्रस्तुत कर 15 दिवस में अनुबंध करना होगा ।
4. निविदा में प्रति वस्तु प्रति दिन 24 घंटे की दर से किराया अंकित करना होगी एवं टेंट की हर साईज की दर स्पष्ट करना होगी । सामग्री किराया 24 घंटे /प्रतिदिन से होगा, जिसकी गिनती कार्य दिवस दिनांक और समय से की जावेगी ।
5. निविदादाता को स्थापना अधिनियम का जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
6. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय के पश्चात डाक या अन्य माध्यमों से प्राप्त निविदा नहीं खोली जावेगी व अमान्य कर दी जावेगी।
7. निविदादाता को शासकीय कार्य का टेंट /शामियाना संचालन आदि कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
8. वांछित सामग्री नियत स्थल पर नियत समय पर स्वयं के व्यय पर लाना होगा एवं कार्य समाप्ति पर स्वयं के पर ले जाना होगा । समय पर कार्य नहीं किया गया या बीच में कार्य छोड़ा गया तो उनके बाद वाले निविदादाता से कार्य कराया जावेगा तथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी ।
9. निविदादाता सीधे कलेक्टर जिला डिण्डौरी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा। सामग्री की सम्पूर्ण सुरक्षा एवं क्षति के लिये निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा ।
10. निविदादाता को निविदा के साथ अपना आयकर का पेन नंबर एवं जीएसटी नंबर व अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। परिशिष्ट-2 में घोषणा पत्र अनिवार्य है ।

11. निविदा स्वीकृत हो जान क उपरात निविदादाता को यह जिम्मदारा हागा कि काय निवाध रूप से निरंतर चलता रहेगा किसी भी तरह के विलंब अथवा रूकावट के लिए कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा, एवं प्रतिभूमि की राशि राजसात कर ली जावेगी।
12. निविदादाता द्वारा जिस पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा कि उसमें समस्त प्रकार के कर सम्मिलित है।
13. सफल निविदाकार उसे दिए गए ठेके को ना तो किसी अन्य को देगा और ना ही किसी अन्य को सबलेट करेगा।
14. निविदादाता का देयक परीक्षण एवं ऑडिट / अनुमोदन उपरांत स्वीकृत करते हुये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल द्वारा प्रदत्त आबंटन क अनुसार भुगतान किया जावेगा, जिससे किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। भुगतान करते समय शासन के नियमों के अनुसार समस्त प्रकार के करों की कटौती की जावेगी।
15. निविदाता किसी भी संस्था/ कार्यालय से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए यदि बाद में यह जानकारी मिलती है कि निविदाता ने तथ्य छिपाया है, तो उसकी राशि राजसात कर ली जावेगी।
16. निविदा स्वीकृत समय निविदादाता के कार्यानुभव का महत्व दिया जावेगा। इसमें यदि किसी अन्य से निविदा दरों में कोई अंतर भी रहता है तो कार्यानुभव एवं निविदाता की सुदृढता को प्राथमिकता दी जावेगी।
17. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कलेक्टर डिण्डौरी का मान्य होगा। जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में बाद नहीं लाया जा सकेगा।
18. निविदा बिना कारण बताये स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी को रहेगा, जिसके लिये किसी भी प्रकार के औचित्य एवं कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।
(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)


संयुक्त कलेक्टर
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
डिण्डौरी
डिण्डौरी, दिनांक 26/09/2018

पृ.क्रमांक/सा0निर्वा0/लेखा/2018/ 374A

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक (विज्ञापन शाखा) जन संपर्क संचालनालय बाणगंगा रोड भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त निविदा निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशित कर पेपर कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर सर्व की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ।
6. जिला जन संपर्क अधिकारी डिण्डौरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अनुविभागीय अधिकारी सर्व जिला डिण्डौरी की ओर सूचनार्थ।
8. प्रबंधक, ई गवर्नेस डिण्डौरी की ओर उक्त निविदा सूचना को बेबसाईट (www.dindori.mp.gov.in) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. कार्यालय सूचना पटल पर चरप्पा हेतु।


संयुक्त कलेक्टर
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
डिण्डौरी